**कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।**
**पत्रांक–3294/11–सी–FP/UP/Approach/13881/2015, लखनऊ, दिनांकः अप्रैल 29 ,2024**

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, (मध्य क्षेत्र),
केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।

विषयः– कार्योपरान्त स्वीकृति (Ex-post Facto) के अन्तर्गत अलीगढ़–रामघाट मार्ग (एम0डी0आर0–105) किमी0 15.150 की बायीं पटरी पर ग्राम–उखलाना के खसरा सं0–1470 में एस्सार ऑयल लि0 द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु 0.0768 है0 संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति। (प्रस्ताव सं0– **FP/UP/Approach/13881/2015**)

सन्दर्भः भारत सरकार का पत्रांक–8बी0/यू0पी0/06/34/2018/एफ0सी0/ , दिनांक–01.02.2024

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें। भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में की गयी आपत्ति का निराकरण कर वांछित सूचना/अभिलेख वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़ ने अपने पत्रांक–3477/14–1, दि0 28.04.2024 द्वारा इस कार्यालय में प्रेषित किया गया है।

अतः वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़ द्वारा प्रेषित की गयी आपत्ति का निराकरण सम्बन्धी अभिलेख ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड कर इस आशय से प्रेषित किया जा रहा है कि कृपया विषयगत प्रकरण में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

भवदीय,

(अनुपम गुप्ता)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

संख्या–3294/11–सी **FP/UP/Approach/13881/2015**, दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।
2– प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, अलीगढ़।
3– डिवीजनल मैनेजर, एस्सार ऑयल लि0 ए–5, से0–3, नोएड।

(अनुपम गुप्ता)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

संख्या–3294/11–सी **FP/UP/Approach/13881/2015**, दिनांकित।

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2, लखनऊ को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अनुपम गुप्ता)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

ई–मेल-cfaligarh@gmail.com.

# कार्यालय वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

पत्रांकः ७५७७ /14–1 (13881/2015) दिनांकःअलीगढ़, अप्रैलः २८ ,2024

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषयः– **कार्योपरान्त स्वीकृति (Ex-post-facto) के अन्तर्गत अलीगढ़–रामघाट मार्ग (एम0डी0आर0–105) किमी0 चैनेज 15.150 की बांयी पटरी पर ग्राम–उखलाना के खसरा सं0–1470 में एस्सार ऑयल लिमिटेड द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0768 है0 संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।**
**(ऑन लाइन प्रस्ताव संख्या–FP/UP/Approach/13881/2015)**

सन्दर्भः– 1– भारत सरकार, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ का पत्रांक– 8बी/यू0पी0/06/34/2018/एफ0सी0 दिनांक 01.02.2024.
2. आपका पत्रांक– 1892/11सी–FP/UP/others/13881/2015 दि0 02.02.2024.
3–प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग अलीगढ़ का पत्रांक–3573/अलीगढ़/13881/2015 दिनांक 18.03.2024.

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रस्ताव में भारत सरकार के संदर्भित पत्र द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग अलीगढ़ के पत्रांक–3573/अलीगढ़/13881/2015 दिनांक 18.03.2024 से इस कार्यालय में उपलब्ध कराया गया है। प्रभाग से प्राप्त आख्या निम्न प्रकार संस्तुति सहित ऑनलाइन संलग्न कर प्रेषित हैः–

| S.No. | Objection | Reply |
|---|---|---|
| 1 | Detailed note from the concerned DFO on action taken against the officials for not being able to prevent violation of FCA needs to be submitted. | प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रकरण में प्रस्तावित रिटेल आउटलेट का सम्पर्क मार्ग निर्माण बिना सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त किये जाने एवं वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के उल्लंघन को न रोक पाने के फलस्वरूप प्रस्तावित स्थल पर कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों के विरूद्ध निम्न प्रकार कार्यवाही की गई हैः–<br>1. श्री वेदप्रकाश, उप क्षेत्रीय वन अधिकारी को सम्पर्क मार्ग निर्माण से वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग को न रोक पाने के दृष्टिगत वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़ के पत्रांक–1438/2–1, दिनांक 30.10.2019 (**संलग्नक–1**) द्वारा कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया जिसमें 15 दिन का समय देते हुए अपना पक्ष/उत्तर देने की अपेक्षा की गई, परन्तु निर्धारित समय के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस का उत्तर न दिये जाने के फलस्वरूप प्रकरण में उल्लंघन के सम्बन्ध में आख्या सक्षम अधिकारी को दण्ड हेतु प्रेषित की गई है।(**संलग्नक–2**)<br>2. श्री इन्द्रजीत सिंह, वनविद् को सम्पर्क मार्ग निर्माण से वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग को न रोक पाने के दृष्टिगत वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़ के पत्र संख्या–1437/2–1, दिनांक 30.10.2019 (**संलग्नक–3**) द्वारा कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया जिसमें 15 दिन का समय देते हुए अपना पक्ष/उत्तर देने की अपेक्षा की गई। श्री इन्द्रजीत सिंह, वनविद् वर्तमान में सेवानिवृत्त हो चुके हैं एवं प्रकरण सक्षम अधिकारी द्वारा निस्तारित किया जा चुका है। सम्बन्धित अभिलेख संलग्न हैं।(**संलग्नक–4**) |

| | | |
|---|---|---|
| | | 3. श्री परशुराम, माली को सम्पर्क मार्ग निर्माण से वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग को न रोक पाने के दृष्टिगत प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ के पत्र संख्या–3832/2–1, दिनांक 03.05.2019 (**संलग्नक–5**) द्वारा कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया जिसमें 15 दिन का समय देते हुए अपना पक्ष/उत्तर देने की अपेक्षा की गई। श्री परशुराम, माली वर्तमान में सेवानिवृत्त हो चुके हैं एवं प्रकरण में दण्ड पारित किया गया है। सम्बन्धित अभिलेख संलग्न हैं। (**संलग्नक–6**) |
| 2 | Penal CA twice of the proposed CA and related documents needs to be submitted. | भारत सरकार, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक–F-No.11-42/2017-FC दिनांक 29.01.2018 द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार पैरा संख्या–पैरा 1.21 (ii) के तहत् वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के उल्लंघन के फलस्वरूप प्रभावित संरक्षित वन भूमि के अधिकतम पॉच (5) गुना दण्डात्मक एन0पी0वी0 एवं उस पर 12 प्रतिशत साधारण ब्याज की धनराशि जमा कराये जाने का प्राविधान किया गया है। भारत सरकार द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के उल्लंघन के सम्बन्ध में की जाने वाली कार्यवाही में दण्डात्मक क्षतिपूरक वनीकरण का कोई प्राविधान नहीं किया गया है। अतः निर्देशानुसार दण्डात्मक एन0पी0वी0 की गणना कर गणना शीट संलग्न है। (संलग्नक–7) |

**संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।**

भवदीय,

(बी0 प्रभाकर)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/
प्रभारी–वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

पत्रांक /14–1 दिनांकित।

**प्रतिलिपि**–डिवीजनल मैनेजर, एस्सार ऑयल लि0 ए–5, से0–3 नोयडा, उ0प्र0 को सूचनार्थ प्रेषित।

**प्रतिलिपि**–प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग अलीगढ़ को उनके सन्दर्भित पत्र के कम में प्रेषित।

(बी0 प्रभाकर)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/
प्रभारी–वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।